

(192) (25)

संविधानसभा के अन्तर्गत डाक  
धुलाई के तहत धुलाई (बिना डाक  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक  
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.  
धुलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक  
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 26, शक 1934

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-27/सात-1/2011.— छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्र. 7 सन् 2005) की धारा 9  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर नियम, 2005 में  
संशोधन और संशोधन करती है. अर्थात् :-

संशोधन

नियमों में,-

नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“ 10 -क. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण कोष की स्थापना तथा उसके व्ययन की रीति :-

(1) निधि का प्रशासन :- अधिनियम की धारा 5 के अधीन यथा परिभाषित अधोसंरचना विकास कोष तथा अधिनियम की धारा 6 के अधीन  
यथा परिभाषित पर्यावरण कोष, राजस्व विभाग में विहित होगा तथा इसके नियंत्रणाधीन रहेगा.

(2) विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के अनुपात तथा आवंटन के सभी प्रस्तावों पर विचार करने तथा स्वीकृति प्रदान करने के लिये एक शासी निकाय गठित  
किया जाएगा. शासी निकाय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1. मुख्यमंत्री                           | - | अध्यक्ष   |
| 2. मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | - | उपाध्यक्ष |

143/110

3.	मंत्री, वित्त विभाग	-	सदस्य
4.	मंत्री, खनिज विभाग	-	सदस्य
5.	मुख्य सचिव	-	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	-	सदस्य सचिव
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, खनिज विभाग	-	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग	-	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग	-	सदस्य

शासी निकाय, जब भी आवश्यक हो, बैठक आयोजित कर सकेगा। शासी निकाय, आवश्यक होने पर, किसी अन्य सदस्य को नामांकित कर सकेगा।

(3) निधि का उपयोग-(एक) निधि का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा किया जायेगा :-

- (क) राज्य में अधोसंरचना कार्य यथा बिजली, पीने के पानी की आपूर्ति, सामुदायिक भवनों, पहुंच मार्ग का निर्माण एवं रख-रखाव आदि के लिए।
- (ख) रोजगार मूलक शिक्षा के प्रचार-प्रसार आदि के द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए।
- (ग) पर्यावरण विकास संबंधी कार्य जो कि कुल कोष का न्यूनतम 50 प्रतिशत होगा :

परन्तु निधि का न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए अनिवार्य रूप से व्यय किया जायेगा।

(दो) निधि का दो प्रतिशत, प्रशासकीय व्यय यथा यात्रा भत्ता, वाहनों का किराया, वाहनों के डीजल/पेट्रोल के प्रभार, नवीन वाहनों के क्रय, कार्यालयीन व्यय एवं अन्य आकस्मिक व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा।

- (4) बचत राशि का समायोजन-प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय करने के पश्चात्, यदि कोई राशि बच जाती है, तो उसे विनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा करते हुए निधि में अभ्यर्पित किया जायेगा।
- (5) निधि के उपयोग संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिए शासी निकाय प्राधिकृत होगा।
- (6) संचालक (कोष एवं लेखा) /महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा निधि के लेखों की ऐसी संपरीक्षा की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर निर्देशित किया जाए।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रकान्त उइके, उप-सचिव।

Raipur, the 17th December 2012

NOTIFICATION

No. F 6-27/Seven-1/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Adhunanrachna Vikas avam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh (Adhunanrachna Vikas avam Paryavaran) Upkar Niyam, 2005 namely :-

AMENDMENT

said Rules. -

After Rule 10, the following shall be substituted, namely :-

“10-A. Establishment of the Chhattisgarh Infrastructure Development and Environment Fund and manner of its disposal :-

193/115  
616 (1)

- (1) Administration of the Fund-The infrastructure development fund as defined under section 5 of the Act and the environment fund as defined under section 6 of the Act, shall be vested in and under control of the Revenue Department.
- (2) There shall be constituted a Governing Body to consider and approve all proposals for ratio of expenditure and allotment for different areas. The Governing Body shall consist of :-
- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1. Chief Minister   | - | Chairman         |
| 2. Minister, Revenue and Disaster Management Department   | - | Vice Chairman    |
| 3. Minister, Finance Department   | - | Member           |
| 4. Minister, Mines Department   | - | Member           |
| 5. Chief Secretary  | - | Member           |
| 6. Principal Secretary/ Secretary,<br>Revenue and Disaster Management Department                | - | Member Secretary |
| 7. Principal Secretary/Secretary, Finance Department  | - | Member           |
| 8. Principal Secretary/Secretary, Mines Department  | - | Member           |
| 9. Principal Secretary/Secretary,<br>Schedule Tribes and Schedule Caste Development Department. | - | Member           |
| 10. Principal Secretary/Secretary,<br>Housing and Environmental Development                     | - | Member           |

The meeting shall be held by the Governing Body as and when required. The Governing Body may nominate any other member, if necessary.

- (3) **Utilization of Fund-**(i) Fund shall be utilized by the State Government in connection with the following activities, namely :-

- (A) For infrastructure works i. e. electricity, drinking water supply, construction and maintenance of community hall, approach road etc. in the State.
- (B) For upliftment of people of different rural areas, by campaigning employment oriented education etc.
- (C) Environmental development works which shall be minimum 50% of the total fund.

Provided that minimum 50% of the fund shall be spent compulsorily for the development of affected areas.

- (ii) Two percent of the fund shall be utilized for administrative expenditure i. e. travelling allowance, प्रमुख fare of vehicles, diesel/petrol charges of Vehicles, purchase of new Vehicles, official expenditure and others contingent expenditures.

- (4) **Surrender of the unspent fund-**After expenditure of each financial year, the balance amount, if any, shall be surrendered to the fund by way of deposit under specified Head of Account.
- (5) The Governing body shall be authorized to take any decision regarding utilization of fund.
- (6) The Director (Treasury and audit)/Accountant General of Chhattisgarh shall audit the accounts of the fund, as directed, from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
CHANDRAKANT UIKE, Deputy Secretary.